अध्याय 4- MBBS और BDS पाठ्यक्रम के लिए पात्रता और योग्यता

4.1 नीट यूजी)-2021 में उपस्थित होने की पात्रता

NMC और DCI से संबंधित विनियमों के अनुसार **नीट यूजी),** में बैठने की पात्रता इस प्रकार है:-

4.1.1. अभ्यर्थी ने प्रवेश के समय 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश-वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले उस आयु को पूरा करेगा।

तदनुसार, न्यूनतम आयु सीमा इस प्रकार होगी:

सामान्य **(UR)/** सामान्य-ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए	**31.12.2004** या उससे पहले पैदा हुआ
SC/ST/OBC-NCL/PwBD Category श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए	

4.1.2. नीट यूजी) के लिए SC/ST/OBC-NCL तथा PwBD श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए, 5 वर्षों की छूट के साथ, परीक्षा की तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है।

निर्देश: दिनांक 22.01.2018 को संशोधित, स्नातक चिकित्सा शिक्षा, 1997 के विनियम के तहत निर्धारित 25 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के समक्ष चुनौती दी गई थी और उक्त ऊपरी आयु सीमा को, दिनांक 11.05.2018 के W.P. No.1813/2018 एवं अन्य जुड़े मामले के निर्णयानुसार बरकरार रखा गया था। दिनांक 11.05.2018 के उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के समक्ष SLP (C) No. 14320/2018 एवं अन्य संबंधित मामलों में चुनौती दी गई थी, जब दिनांक 29.11.2018 के अंतरिम आदेश के तहत 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के अभ्यर्थियों को कथित मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन NEET-UG-2019 में उपस्थित होने की अनंतिम रूप से अनुमति दी गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 29.04.2019 के आदेश के तहत अभ्यर्थियों को मामलों के निर्णय के अधीन काउंसलिंग में अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी थी। उपरोक्त मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के समक्ष लंबित हैं और प्राधिकरण किसी भी आदेश का पालन करेंगे जो NEET-UG-2021 के लिए पारित किया जा सकता है।

इस प्रकार, 25 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थियों को, अनंतिम रूप से उपस्थित होने की अनुमति है और उनकी उम्मीदवारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित याचिकाओं के परिणाम के अधीन है।

4.1.3. भारतीय नागरिक/भारत के प्रवासी नागरिक ओसीआई) जो किसी विदेशी चिकित्सा/दंत चिकित्सा संस्थान के स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं, उन्हें भी **नीट यूजी)** उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होगी।

4.2 NRI / OCI /विदेशी नागरिकों के लिए मानदंड

4.2.1. अनिवासी भारतीय **NRI),** भारत के प्रवासी नागरिक **OCI),** और विदेशी नागरिक, संबंधित राज्य सरकारों, संस्थानों और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए पात्र हैं, जैसा भी मामला हो। **NRI और OCI** आवेदकों/ अभ्यर्थियों को **नीट यूजी)–2021** के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ **NRI/OCI** अभ्यर्थी के रूप में अपने दावे के समर्थन में अपने निवासी-देश में संबंधित भारतीय राजनयिक मिशन से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे अपलोड करना होगा तथा **नीट यूजी)** के अंतर्गत आने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश/परामर्श के समय इसे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे दस्तावेज की मूल प्रति को अपने पास रखना होगा।। इसी तरह, **नीट यूजी)** 2021 के लिए एक विदेशी आवेदक भी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपनी राष्ट्रीयता से जुड़े दस्तावेजी सबूत जैसे वैध पासपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठ या अपनी नागरिकता की स्थिति से संबंधित दस्तावेज़ को अपने नागरिकता प्राप्त देश के एक सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र) अपलोड करेगा। दूतावास प्रमाण पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र या नागरिकता का कोई दस्तावेजी प्रमाण **परिशिष्ट-XIV A और XIV B** में दिया गया है।

4.2.2. विदेशी नागरिक संबंधित मेडिकल/डेंटल/कॉलेज/राज्य से अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकते हैं।

4.2.3. नीट यूजी) के लिए **OCI** कार्डधारकों की पात्रता:

गृह मंत्रालय ने 4 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से उन अधिकारों को निर्दिष्ट किया जिनके तहत एक OCI कार्डधारक नागरिकता अधिनियम, 1955 के लिए हकदार होगा।

उक्त अधिसूचना का खंड 4) ii) इस प्रकार है:

"4) के मामले में अनिवासी भारतीयों के साथ समानता, -

ii) राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन्स), संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांश) या ऐसी अन्य परीक्षाओं जैसे अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर उन्हें प्रवेश के पात्र होने के लिए केवल किसी अनिवासी भारतीय सीट या कोई भी अतिरिक्त सीट के निमित्त प्रयास करना होगा :

बशर्ते कि **OCI** कार्डधारक केवल भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित किसी भी सीट पर प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।

उपरोक्त अधिसूचना निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रदान करती है:

" OCI कार्डधारक PIO कार्डधारक सहित) एक विदेशी देश का पासपोर्ट धारक है और भारत का नागरिक नहीं है।"

इसी तरह, पीआईओ कार्डधारक और विदेशी नागरिक विशेष रूप से भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित किसी भी सीट के लिए प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

4.3 अखिल भारतीय कोटा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख की भागीदारी

i. केंद्र शासित प्रदेश **जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख** के छात्र 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर अपनी स्थापना के बाद से अखिल भारतीय योजना से बाहर हो गया था। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश **जम्मू एवं कश्मीर** का संबंध है, अखिल भारतीय कोटा में केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने का मामला विचाराधीन है और इस संबंध में कोई भी निर्णय उचित समय पर एनटीए की वेबसाइट पर डाला जाएगा। इसलिए **जम्मू एवं कश्मीर**, क्वालिफाइंग नीट यूजी)-2021 के अभ्यर्थी, अखिल भारतीय 15% कोटे के तहत MBBS/ BDS सीटों पर प्रवेश के लिए MCC/DGHS द्वारा आयोजित काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, उनके अंकों/स्कोर के आधार पर, वे जम्मू एवं कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जम्मू-कश्मीर व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड JKBPEE) द्वारा आयोजित परामर्श में भाग लेने में सक्षम होंगे। विवरण एवं समय-समय पर होने वाले नवीनतम अपडेट के लिए, जम्मू एवं कश्मीर के अभ्यर्थियों द्वारा, **JKBPEE** की वेबसाइट www.jkbopee.gov.in और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन, को देखा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अभ्यर्थी , यदि वे पात्रता का दावा करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जो रिकॉर्ड के लिए पुष्टिकरण पृष्ठ के साथ स्वचालित रूप से उत्पन्न और मुद्रित होगी और उन्हें काउंसलिंग के दौरान इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। **स्व-घोषणा प्रपत्र परिशिष्ट-III में दिया गया** है। यदि घोषणा किसी भी समय झूठी पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के अभ्यर्थी निजी मेडिकल/ डेंटल/कॉलेजों या किसी निजी/डीम्ड यूनिवर्सिटी और AFMC, AIIMS, JIPMER में प्रवेश के लिए नीट यूजी)-2021 में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वे संबंधित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

ii. हालांकि, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के छात्र 15% अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

4.4 योग्यता एवं अर्हक परीक्षा कोड

नीट यूजी)-2021 के पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को योग्यता परीक्षा मानदंड के लिए निम्नलिखित तालिका का उल्लेख करना होगा।

कोड: 01
एक अभ्यर्थी जो अर्हक परीक्षा में शामिल हो रहा है, अर्थात, 2021 में 12 वीं कक्षा में है, जिसका परिणाम प्रतीक्षित है, आवेदन कर सकता है और परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वह तब

तक **स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों** में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह पहले दौर की काउंसलिंग के समय आवश्यक उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है।

ऐसे अभ्यर्थी, जो मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ योग्यता परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित हो रहे हैं और अपेक्षित प्रतिशत अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने की उम्मीद कर रहे हैं, वे भी प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने और उपस्थित होने के पात्र हैं। हालांकि, उनकी उम्मीदवारी पर तभी विचार किया जाएगा जब वे आवश्यक विषयों और अंकों के प्रतिशत के साथ अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करेंगे।

या

कोड:- 02

हायर/सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, जो 12 साल के अध्ययन के बाद 10+2 हायर/सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के समकक्ष है, इस तरह के अध्ययन के अंतिम दो साल जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी जिसमें इन विषयों में व्यावहारिक परीक्षण शामिल होंगे) तथा गणित या अंग्रेजी के साथ कोई भी अन्य वैकल्पिक विषय, अंग्रेजी का स्तर 10 + 2 + 3 (राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा अनुशंसित की गई शैक्षिक संरचना) की शुरूआत के बाद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित किए गए कोर पाठ्यक्रम से कम नहीं हो ।

*ओपन स्कूल से या निजी अभ्यर्थी के रूप में 10 + 2 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' के लिए उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, 10+2 स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वालों को भी अनुमति नहीं होगी।**

***जो अभ्यर्थी अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान के साथ 10+2 स्तर पास कर चुके हैं, वे भी **MBBS** प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र होंगे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 2341/-डब्ल्यू/ डीएचसी/डब्ल्यूआरआईटी/डी-1/2019, दिनांक 24/09/2019 के रिट याचिका सी) संख्या 6773/2019 के अनुसार) ।*

यदि संस्थान को 10+2 योजना/इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के तहत किसी भारतीय विश्वविद्यालय या किसी विदेशी/विश्वविद्यालय की परीक्षा को 12वीं कक्षा के समकक्ष माना जाता है, तो अभ्यर्थियों को संबंधित भारतीय विश्वविद्यालय/संघ से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों की इस आशय की कि उसके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा 10+2 योजना/इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा के अंतर्गत 12वीं कक्षा के समकक्ष मानी जाती है।

(निर्देश:इटैलिक में प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच और माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश,जबलपुर में, के समक्ष चुनौती का विषय रहा है। मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल बोर्ड के अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करने वाले नियमों के प्रावधान और एक अतिरिक्त विषय के रूप में जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में अपील के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी है। इसलिए,* ***नीट)यूजी* *में अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी, जिन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग या स्टेट ओपन स्कूल से 10 + 2 या मान्यता प्राप्त राज्य बोर्डों से निजी अभ्यर्थी के रूप में योग्यता; या जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अनुमति दी जाएगी, लेकिन यह भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं/अपीलों के परिणाम के अधीन) ।*
या
कोड: 03 किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान में इंटरमीडिएट/प्री-डिग्री या अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा निकाय से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी जिसमें इन विषयों में व्यावहारिक परीक्षा शामिल होगी) की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
या
कोड: 04 हायर सेकेंडरी परीक्षा या प्री-यूनिवर्सिटी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी के साथ प्री-प्रोफेशनल/प्री-मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।प्री-प्रोफेशनल / प्री-मेडिकल परीक्षा में इन विषयों में व्यावहारिक परीक्षण और अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी भी शामिल हो।
या
कोड: 05 किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के त्रि-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी जिनमें व्यावहारिक परीक्षण शामिल हैं, बशर्ते कि यह परीक्षा एक विश्वविद्यालय परीक्षा है और अभ्यर्थी ने कोर कोर्स के समान स्तरीय अंग्रेजी के साथ

भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी के साथ पहले की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है।
या
कोड: 06 किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से **B.Sc**. की परीक्षा बशर्ते कि उन्होंने **B.Sc.** भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान)/जैव प्रौद्योगिकी विषयों में से कम से कम दो विषयों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो और इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी के साथ पहले की योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।
या
कोड: 07 कोई भी अन्य परीक्षा, जो दायरे और मानक में 10 + 2 के पिछले 02 वर्षों के अध्ययन के अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव-प्रौद्योगिकी, जिसमें इन विषयों की व्यावहारिक परीक्षा शामिल होगी) भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड के इंटरमीडिएट विज्ञान परीक्षा, जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी प्रत्येक विषय में व्यावहारिक परीक्षण सहित) और अंग्रेजी, के समकक्ष रहा है।

• बशर्ते कि **नीट यूजी)** के पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को, व्यक्तिगत रूप से, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में, अर्हक परीक्षा में, एक साथ न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना चाहिए जैसा कि NMC और DCI के विनियमों में उल्लिखित है। इसके अलावा, उन्हें **अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में** प्रवेश के लिए **नीट यूजी)** की मेरिट लिस्ट में रैंक मिला होना चाहिए।

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग एनसीएल) से संबंधित अभ्यर्थियों के संबंध में, योग्यता परीक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में एक साथ प्राप्त न्यूनतम अंक, अनारक्षित और सामान्य-ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित किए गए 50% अंकों के बजाय, **40% अंक होंगे**। NMC और DCI के विनियमों के अनुसार **PwBD** अभ्यर्थियों के संबंध में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान)/जैव प्रौद्योगिकी में, अर्हक परीक्षा में, न्यूनतम अंक 50% के बजाय **40% होंगे।**

• आगे बशर्ते कि, जो छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और भारत के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें कक्षा 12 में 50% अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना चाहिए और उनकी समकक्षता, भारतीय चिकित्सा परिषद और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ **(AIU)** द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

• MBBS पाठ्यक्रमों में प्रवेश के पात्र होने के लिए न्यूनतम अर्हक अंक के मानदंड संबंधित AIIMS और JIPMER जैसे INI पर भी लागू होंगे।

निर्देश: अन्य सभी मामलों में, जिन राज्यों/संस्थानों ने ऊपर उल्लिखित पात्रता के अलावा अन्य पात्रता के लिए कट ऑफ किया है, वे अपने स्वयं के मानदंडों का पालन कर सकते हैं।

ध्यातव्य:

- प्री-मेडिकल कोर्स मेडिकल कॉलेज या साइंस कॉलेज में आयोजित किया जा सकता है।
- गणित में प्राप्त अंकों को स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता के लिए मान्य नहीं माना जाना चाहिए।
- विदेशी/अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा उत्तीर्ण की गई योग्यता परीक्षा, कोड: 07 में बताए गए दायरे और मानक के अनुसार है।
- **नीट यूजी)** के लिए अर्हक परीक्षा के विषयों में से एक के रूप में जीव विज्ञान/जैविक विज्ञान की आवश्यकता के संबंध में कोई व्याख्या 2018 तक संशोधित स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 1997) के विनियम संख्या 4 (1) के अधीन होगी और "कालोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाम श्रीकीर्ति रेड्डी पिंगले एवं अन्य।" पैरा 20 एवं 21) के मामले में 2021 की सिविल अपील संख्या 390 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 16 फरवरी 2021 के निर्णय के अधीन होगी।